

समक्ष - वी. रामास्वामी, सी.जे. और जी.आर. मजीठिया, जे.

सरस्वती राइस और जनरल मिल्स - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

सिविल रिट याचिका संख्या 2864 ऑफ़ 1988

2 दिसंबर 1988.

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1973 का XX)-एस.एस. 6.15- लेवी आदेश के तहत सरकार को चावल की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत डीलर-ऐसी आपूर्ति पर बिक्री कर का भुगतान करने का दायित्व-डीलर द्वारा कर का गैर-संग्रहण-की प्रासंगिकता।

अभिनिर्णित - याचिकाकर्ता के पास यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि वह लेवी लेनदेन के संबंध में बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, बिक्री और खरीद पर कर का भुगतान करने के लिए डीलर पर दायित्व डालता है। ऐसा हो सकता है कि वह अपने द्वारा की गई बिक्री के संबंध में क्रेता को दायित्व सौंपने का हकदार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि क्रेता बिक्री कर का भुगतान नहीं करता है, तो डीलर बिक्री कर का भुगतान करने से मुक्त है। अधिनियम के तहत बिक्री कर लगाते समय क्रेता के खिलाफ उपाय सरकार की चिंता का विषय नहीं है। या तो यह तथ्य कि डीलर ने कर एकत्र नहीं किया था या यहां तक कि बिक्री कर के लिए लेनदेन की गैर-देनदारता

की धारणा के आधार पर कर का गैर-संग्रह भी डीलर को बिक्री कर के भुगतान से मुक्त कर सकता है। यदि कर के लिए लेन-देन की देनदारी के संबंध में कोई वास्तविक विवाद या संदेह था तो यह जुर्माना लगाने या न लगाने के लिए प्रासंगिक आधार हो सकता है, लेकिन इसका कर की देनदारी पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारी राय में, इस तथ्य से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रेता एक सरकार है और कर चुकाने का दायित्व सरकार पर है। प्रतिमा के तहत कर भुगतान की देनदारी उत्पन्न होती है और इसका अनुपालन करना होता है। यदि उसके पास सरकार के खिलाफ कोई उपाय है, तो वह कर भुगतान की देनदारी को प्रभावित नहीं कर सकता है। इन परिस्थितियों में, केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता सरकार से कर एकत्र करने में सक्षम नहीं था, वह यह कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वह बिक्री कर का भुगतान नहीं करेगा। (पैरा 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि:-

- (i) मामले के रिकॉर्ड को तलब किया जाए और भुगतान में तेजी लाने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को उसी रिट या निर्देश को जारी किया जाए और सर्टिफिकेटरी क्वेशिंसिंग ऑर्डर अनुलग्नक पी -1 और मूल्यांकन के लिए कार्यवाही की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए। वर्ष 1985-86 जहां तक वे लेवी लेनदेन पर कर लगाने और उसकी वसूली नहीं करने से संबंधित हैं, और निर्धारण वर्ष 1984-85 के लिए रुपये की राशि। 23,225-82 पी.एस. ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया जाए।

(ii) कोई अन्य रिट या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाएगा;

(iii) अनुबंध पी-1 की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की छूट दी जाए;

(iv) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका की अग्रिम तामील से छूट दी जाए;

(v) आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका लंबित रहने तक आकलन वर्ष 1985-86 के लिए कर की वसूली/लगाव पर रोक लगाई जाए; और

(vi) कि रिट याचिका को लागत सहित स्वीकार किया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील बी.के. झिंगन।

उत्तरदाताओं के वकील एस. के. सूद, डी.ए., हरियाणा, के साथ, एस. सी. मोहंता, ए.जी., हरियाणा।

निर्णय

वी. रामास्वामी. सी जे.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में, हरियाणा जनरल सेल्स फैक्स अधिनियम, 1973, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा, के तहत याचिकाकर्ता फर्म पर मूल्यांकन आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है।

निर्धारण वर्ष 1985-86 जहां तक यह जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, करनाल को चावल की आपूर्ति से संबंधित टर्नओवर पर कर लगाने से संबंधित है, जो आपूर्ति हरियाणा चावल खरीद के तहत जारी खरीद आदेशों के अनुपालन में की गई थी (लेवी) आदेश 1985 को इसके बाद लेवी आदेश के रूप में संदर्भित किया गया है, और हरियाणा राज्य और जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक, करनाल (प्रतिवादी 1 और 2) को चावल की आपूर्ति के संबंध में देय बिक्री कर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। लेवी आदेश के तहत जारी आदेश और एक घोषणा के लिए कि जब तक राज्य सरकार लेवी आदेश के अनुसरण में किए गए आपूर्ति के लेनदेन पर बिक्री-कर का भुगतान नहीं करती है, तब तक मूल्यांकन अधिकारी इन लेवी लेनदेन पर कर की वसूली करने में सक्षम नहीं हैं।

(2) याचिकाकर्ता अधिनियम के अर्थ के तहत एक पंजीकृत डीलर है और पंजाब राइस मिलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर के प्रावधानों के तहत एक लाइसेंस प्राप्त मिलर भी है। हरियाणा चावल खरीद (लेवी) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत, जो आकलन वर्ष 1985-86 के दौरान लागू था, याचिकाकर्ता को खरीद अधिकारी या ऐसी एजेंसी को आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है जिसे खरीद के समय हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सामान्य और बढ़िया चावल की प्रत्येक किस्म का मूल्य 90 प्रतिशत और बेहतर बढ़िया चावल की प्रत्येक किस्म का 75 प्रतिशत या ऐसा प्रतिशत जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। लेवी आदेश में आगे कहा गया है कि आपूर्तिकर्ता को अनुसूची में दिए गए अनुसार चावल

की कीमत का भुगतान किया जाएगा। अनुसूची III जो चावल का खरीद मूल्य तय करती है

वह इस प्रकार है: -

अनुसूची III

चावल की खरीद कीमत

क्रमांक	वर्गीकरण	कीमतें प्रति क्विंटल
1.	कॉमन (IR 8, जाया)	Rs. 233.90
2.	फाइन (बेगमी HM 95)	Rs. 247.60
3.	सुपरफिन [परिमल, रत्न, RP 5-3 (सोना) PR 106 बसमता (टेररिक्त) पूसा 150]	Rs. 256.15

ध्यान दें: (i) चावल की उपरोक्त कीमतें नग्न अनाज के शुद्ध वजन के लिए हैं, जिसमें खरीद कर, धान पर मंडी शुल्क और धान की पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बोरियों पर मूल्यहास शामिल है, लेकिन बोरियों की कीमत और करों को छोड़कर, यदि कोई हो, पूर्व- चावल पर मिल चरण.

(ii) उपरोक्त कीमतें चावल की 1984-85 की फसल पर लागू हैं।

(3) शियाम लाई और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (1987) 66 एस.टी.सी. 37 में दिए गए फैसले में, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने अनुसूची और नोट की व्याख्या की और माना कि तय की गई कीमत इसमें शामिल नहीं है। बोरियों की लागत और कर, यदि कोई हो, और डीलर अधिनियम के तहत देय बिक्री-कर को अनुसूची III के तहत निर्धारित खरीद मूल्य में जोड़ने के हकदार थे। वास्तव में इस स्थिति को पहले के फैसले में हरियाणा के महाधिवक्ता, जो उस मामले में पेश हुए थे और महाधिवक्ता, जो अब इस मामले में भी उत्तरदाताओं के लिए पेश हुए थे, द्वारा स्वीकार किया गया था। यदि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लेवी आदेश की अनुसूची III के तहत तय की गई खरीद कीमत करों से अलग है, तो हम यह देखने में असफल हैं कि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत कैसे हो सकती है क्योंकि वह खरीद में बिक्री-कर जोड़ने का हकदार होगा। जिस कीमत पर लेवी ऑर्डर के तहत चावल पहुंचाने के लिए कहा गया है। हम पहले ही सी.डब्ल्यू.पी. में आयोजित कर चुके हैं। 1988 की संख्या 1551 कि संविधान (छियालीसवाँ संशोधन) और 1984 के अधिनियम संख्या 11 द्वारा हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 में संशोधन के बाद, जो फरवरी 2, 1983 से लागू हुआ, कर लगाया गया सरकार द्वारा जारी लेवी आदेशों के अनुसरण में खरीद एजेंसियों को चावल की आपूर्ति के लेनदेन पर बिक्री लेनदेन कर योग्य हैं और डीलर टर्नओवर पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(4) हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 6 के तहत, प्रत्येक डीलर जिसका वर्ष के दौरान सकल कारोबार कर योग्य मात्रा से अधिक है, अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली सभी बिक्री और खरीद पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। याचिकाकर्ता एक मिल मालिक है। यह धान की बिक्री और खरीद और चावल के निर्माण और उसके और उसके उपोत्पादों की बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है। तदनुसार, धान की खरीद टर्नओवर और चावल की बिक्री टर्नओवर दोनों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर लगाया जाता है और दायित्व डीलर पर होता है। हालाँकि, धारा 15 के प्रावधान (iii) में यह प्रावधान किया गया है कि धान से प्राप्त चावल के मामले में, जिसकी खरीद पर राज्य के अंदर कर लगाया गया है, ऐसे चावल पर लगाए जाने वाले कर को उस पर लगाए गए कर की राशि से कम किया जाएगा। यह जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक को चावल की आपूर्ति के लेनदेन से संबंधित टर्नओवर के संबंध में डीलर पर लगाया गया अंतर कर है जो इस रिट याचिका में विवादित है। इसलिए, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या लेवी आदेश 1985 के तहत खरीद अधिकारी को चावल की आपूर्ति और वितरण, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत एक बिक्री है, जिस पर कर का दायित्व आता है। निर्णयों की एक शृंखला में, सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम मैसर्स गैनन डंकर्ले एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड मामले के निर्णय के आधार पर निर्णय लिया¹ विभिन्न आयोजन किए हैं लेनदेन, जो वास्तव में, बिक्री के माध्यम से

¹ AIR 1958 S.C. 560

लेनदेन से मिलते जुलते हैं, बिक्री-कर के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यह उन मामलों में माना जाता है कि संघ सूची की प्रविष्टि 92-ए या राज्य की प्रविष्टि 54 के तहत बिक्री कर लगाने के अधीन होने के लिए लेनदेन में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए, अर्थात् , अनुबंध के लिए सक्षम पक्ष, आपसी सहमति। अनुबंध के पक्षकारों में से किसी एक पक्ष से दूसरे पक्ष को मूल्य के लिए स्थानांतरण या संपत्ति एम माल। न्यू इंडिया शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम बिक्री कर आयुक्त मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार किया कि नियंत्रण आदेश के तहत या किसी निर्देश के अनुसरण में नियंत्रित वस्तुओं के हस्तांतरण में विक्रेता द्वारा आपसी सहमति की इच्छा का तत्व अनुपस्थित है, हालांकि यह यह अधिग्रहण के बराबर है और इसलिए, माल की बिक्री अधिनियम, 1930 में परिभाषित कोई बिक्री नहीं है। इन निर्णयों और कुछ अन्य बाद के निर्णयों के परिणामस्वरूप संविधान में स्वयं कॉन्सुर्डॉन (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था, 1982, अनुच्छेद 366 में एक नया खंड 29-ए जोड़कर संशोधन किया गया, जिसमें अन्य चीजों के साथ-साथ "माल की बिक्री या खरीद पर कर" को परिभाषित किया गया, जिसमें "किसी भी सामान में संपत्ति के अनुबंध के अनुसरण के अलावा हस्तांतरण पर कर" भी शामिल है। नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल"। हरियाणा अधिनियम संख्या 11, 1984 द्वारा, हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया, जिसमें माल की बिक्री या खरीद को "अनुबंध के अनुसरण के अलावा , नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी भी सामान में संपत्ति

का अन्यथा स्थानांतरण" भी शामिल किया गया। संशोधन अधिनियम 18 अप्रैल, 1984 को प्रकाशित हुआ था। बिक्री और खरीद से संबंधित इस संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था एनसीएल को फरवरी 2, 1983 को लागू माना गया था, संशोधन अधिनियम की वैधता के बारे में कोई विवाद नहीं है। 1984 की संख्या 11 और इसकी वैधता पर कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य विधानमंडल पूर्वव्यापी रूप से बिक्री कर लगा सकता है, - हीरा लाई रतन लाई बनाम बिक्री कर कानपुर अधिकारी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत², हालांकि, यह तर्क देने की कोशिश की गई कि संशोधन के बाद भी, लेवी लेनदेन विष्णु एजेंसीज (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य³, मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के आधार पर नहीं बनता या खरीदा नहीं जाता है और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर कोटा और अन्य,⁴ दोनों संविधान और हरियाणा अधिनियम संख्या 11, 1984 के संशोधन से पहले के हैं और उन निर्णयों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमने यह भी पाया कि इसी तरह के तर्क को इस न्यायालय ने श्याम लाई सुंदर लाई और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य⁵ में खारिज कर दिया था। हरियाणा अधिनियम संख्या 11, 1984 के संशोधन के बाद हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता और इस तर्क को खारिज करना होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता के पास यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि वह

² (1973) 31 S.T.C. 178

³ (1978) 42 S.T.C. 31

⁴ (1981) 48 S.T.C. 466.

⁵ (1987) 66 S.T.C. 37

आकलन वर्ष 1985-86 के लिए लेवी लेनदेन के संबंध में बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, जो 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1986 तक की अवधि को कवर करता है। इसलिए, आकलन वर्ष 1985-86 और उसके बाद के आकलन वर्षों से संबंधित सभी रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

(5) हम पहले ही बता चुके हैं कि अधिनियम डीलर पर बिक्री और खरीद पर कर का भुगतान करने का दायित्व डालता है। ऐसा हो सकता है कि वह अपने द्वारा की गई बिक्री के संबंध में क्रेता को दायित्व सौंपने का हकदार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि क्रेता बिक्री कर का भुगतान नहीं करता है, तो डीलर बिक्री कर का भुगतान करने से मुक्त है। . अधिनियम के तहत बिक्री कर लगाते समय क्रेता के खिलाफ उपाय सरकार की चिंता का विषय नहीं है। या तो यह तथ्य कि डीलर ने कर एकत्र नहीं किया था या यहां तक कि बिक्री-कर के लिए लेनदेन की गैर-देनदारता की धारणा के आधार पर कर का गैर-संग्रह भी डीलर को बिक्री-कर के भुगतान से दूर कर सकता है। यदि कर के लिए लेन-देन की देनदारी के संबंध में कोई वास्तविक विवाद या संदेह था तो यह जुर्माना लगाने या न लगाने के लिए एक प्रासंगिक आधार हो सकता है, लेकिन इसका कर की देनदारी पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारी राय में, इस तथ्य से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रेता एक सरकार है और कर चुकाने का दायित्व सरकार पर है। कर का भुगतान करने का दायित्व कानून के तहत उत्पन्न होता है और इसका अनुपालन करना होता है। यदि उसके पास सरकार के विरुद्ध कोई उपाय है, तो वह कर

भुगतान की देनदारी को प्रभावित नहीं कर सकता। इन परिस्थितियों में, केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता सरकार से कर एकत्र करने में सक्षम नहीं था, यह कहने के लिए वह खुला नहीं है कि वह बिक्री कर का भुगतान नहीं करेगा। न ही हम सरकार को इन कार्यवाहियों में याचिकाकर्ता को पैसे देने का निर्देश दे सकते हैं। हालाँकि, हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है और भारतीय खाद्य निगम ने मिल मालिकों को लेवी चावल पर अंतर बिक्री-कर के भुगतान की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है। मूल्यांकन प्राधिकारियों ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया है: -

(1) डी.एफ.एस.सी. संबंधित को पार्टी-वार, लेवी चावल पर अंतर कर की प्रतिपूर्ति के लिए अपने दावों को (i) मूल्यांकन आदेश, (ii) कर भुगतान रसीद, और (iii) हरियाणा राज्य कराधान विभाग से एक प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत समर्थित प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्य बातों के साथ-साथ (a) धान पर डीलर द्वारा भुगतान किया गया कर और लेवी चावल के साथ-साथ लेवी मुक्त चावल पर लगाए गए कर की अंतर राशि और (b) डीलर द्वारा खरीदे गए धान की मात्रा और कीमत और मात्रा और मूल्य का संकेत जिस पर डीलर द्वारा लेवी चावल राज्य सरकार को पहुंचाया गया.

(2) निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना/जुर्माना, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(3) कर की गणना में शामिल आकस्मिक तत्वों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि इस पर कोई कर नहीं देना होगा।

(4) कर की प्रतिपूर्ति केवल लेवी मूल्य पर डीलरों द्वारा भुगतान किए गए अंतर कर की सीमा तक होगी।

(5) लेवी चावल पर अंतर कर की प्रतिपूर्ति/भुगतान में देरी के कारण कोई ब्याज नहीं देना होगा।

हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि शर्तें पूरी की जाती हैं, तो डीलरों को आकलन वर्ष 1985-86 और उसके बाद के आकलन वर्षों के संबंध में भुगतान किए गए अंतर कर की प्रतिपूर्ति की जाएगी। जहां तक बारदाना पर जुर्माना, ब्याज और बिक्री कर की देनदारी का सवाल है, जिसे इस याचिका में भी उठाया गया है, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता अपील और संशोधन के माध्यम से अधिनियम के तहत अपने उपचारों का उपयोग करेगा और इस पर आएगा। यदि उसे कोई उपाय नहीं मिला है तो न्यायालय संदर्भ पर है, लेकिन हम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका में इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वास्तव में बिक्री कर अधिनियम अपने आप में एक संक्षिप्त संहिता है और इसके तहत प्रदान किए गए उपाय प्रभावी हैं और हम अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपायों का उपयोग किए बिना सीधे इस न्यायालय में आने की इस प्रथा को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। इसलिए, इससे संबंधित राहतों को अधिनियम के तहत उपचारों में बदल दिया गया है।

(6) उपरोक्त कारणों से, यह रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि

वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं

किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी

संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)